MAHARAJA AGRASEN COLLEGE TEACHING STAFF ASSOCIATION (MACTSA)

The Constitution

Article 1: Title and Extent

There shall be a teacher's association called Maharaja Agrasen College Teaching Staff Association (henceforth referred to as MACTSA) to (a) protect the rights and interests of the teaching staff (b) carry out welfare activities (c) coordinate with DUTA and participate in action programs from time to time as adopted in MACTSA General Body Meeting for collective welfare and interest of Teaching Staff.

Article 2: Membership

- Membership of the MACTSA is automatic to a person joining the faculty (including Director, Physical Education and Librarian) in permanent, temporary or ad-hoc positions, and shall remain member as long as she/he remains on the rolls of the college. All the aforesaid members shall comprise the General Body of the MACTSA. However, members have the right to withdraw the membership from the Staff Association. They shall intimate their intention of doing so in writing to the Office-Bearers (i.e. President, Secretary or Treasurer) of the Staff Association. The Office-Bearers shall place the same before the General Body.
- Subscription to the association shall be payable on monthly basis by all the members
 which shall be deducted from the members salary as per the amount decided and
 approved by the General Body subject to review and change from time to time following
 due procedure viz. written consent from individual members stating reason for
 review/change.

Article 3: General Statement

 MACTSA shall have the following Office-Bearers and Executive Members; collectively known as Executive Committee –

- President
- Secretary
- Treasurer
- Executive Members (Four)
- The General Body shall have powers to frame rules and regulations in pursuance of this
 constitution from time to time. The General Body shall be the highest decision making
 body.
- The Treasurer shall manage the finances of the MACTSA, maintain its accounts, present the annual statement and look after the day to day expenses of the MACTSA.
- In case of arising of a casual vacancy in the post of Office-Bearers for a period of more than 6 months, alternate arrangement shall be made by the General Body through elections and the term should be co-terminus with the term of the Office-Bearers. In case of a vacancy of less than 6 months, the General Body shall make alternative arrangements till the incumbent joins duty in the College.

Article 4: Meetings and Proceedings

- The General Body, comprising all the members of the MACTSA, must meet at least once in each semester, including annual meeting on the day of the elections in which annual report and statement of accounts shall be presented.
- In between two General Body meetings, the Executive Committee shall have the authority to take decisions regarding day-to-day affairs of MACTSA.
- The following procedure should be followed for convening MACTSA General Body meetings:
 - The meeting shall be convened by the President in the consultation with other office bearers and executive members. The Secretary shall put up the notice for the meeting. The President shall preside over the meeting and the Secretary shall record its proceedings.
 - In the absence of the President, Secretary shall convene the meeting and preside over it. In the absence of both the President and Secretary, Treasurer shall do the same.
 - The notice period for the meeting of MACTSA shall be 7 days. However, for an Emergent Meeting the notice period may be waived off.

- A meeting of the MACTSA General Body may be convened if a member approaches the Executive Committee for taking up an issue in writing. If, however, the issue is resolved by the Executive Committee itself to the satisfaction of the member, then the General Body may not be convened.
- For Requisition Meeting, a requisition, in writing, signed by not less than 1/10 of the members of the MACTSA should be submitted to the President or Secretary. Such a meeting should definitely be convened within 7 working days of the receipt of the requisition. If such a meeting is not convened in the stipulated time period, then, a General Body meeting will be automatically convened on the next working day. The General Body shall elect the chairperson for the meeting, if required.
- A minimum quorum for any meeting shall be 1/5of the total members.

Article 5: Finance

- The funds of the MACTSA shall comprise of membership subscription and grant donations, if any
- The funds of the MACTSA shall be kept in a bank account.
- The bank account shall be kept in the name of Maharaja Agrasen College Teaching Staff Association.
- The bank account shall jointly be operated by the Treasurer and either the President or the Secretary. In case the Treasurer is unavailable, account may be jointly operated by the President and the Secretary.
- The account of the MACTSA shall be maintained by the Treasurer.
- The accounts of the MACTSA shall be presented annually before the General Body.

Article 6: Election of the Office Bearers

- The members shall elect the President, Secretary and Treasurer for a period of one year.
 The election process of the new office bearers shall be completed before 30th
 September of each year. The Office -Bearers i.e. President, Secretary and Treasurer shall
 not have more than two consecutive terms on the same post and he/she will not seek
 re-election to the same post till one year has lapsed.
- The Office-Bearers shall nominate, by consensus, four Executive Members after the announcement of the results. In case of there is no consensus amongst the Office-Bearers, the matter shall be referred to MACTSA General Body within 7 days of the

declaration of the election results. The General Body will elect four Executive Members through a process of secret voting. The name of candidates who wish to contest for the post of Executive Member of MACTSA shall be proposed and seconded by two members of General Body (excluding the Office-Bearers).

Article7: Returning Officer

- Returning Officer shall be appointed by the Executive Committee before the commencement of the election procedure. She/he will complete the election process before 30th September of each year.
- The Executive Committee would nominate two members to assist the Returning Officer for smooth conduct of elections.

Article 8: Election Procedure

- Following guidelines shall be followed and duly notified by the Returning Officer for the conduct of election:
 - Notification of election.
 - Dates for filing of nomination papers in prescribed format. There should be 5 days gaps between the notification of election and last date of filing of nomination.
 - Last date for withdrawal of nominations.
 - Notification of final candidature upon scrutiny
 - Polling date.
 - Counting of votes and declaration of results
- The candidates seeking election for the post of President, Secretary and Treasurer shall be proposed and seconded by two members with the consent of the candidate in the prescribed format.
- A member cannot file nomination for more than one post.

 A member of MACTSA cannot propose or second more than one candidate in the same category for the elections. In such a case, all multiple nominations shall stand cancelled.

Article 9: Amendment(s)

An amendment to the Constitution shall be made provided:

- For any amendment in the Constitution, a written proposal (not more than 200 words) must be submitted to the President by a member, seconded by at least 1/10 of the total members. The President will circulate the same among the members of the MACTSA.
- A special meeting of the General Body shall be held with 15 working days' notice for the
 purpose of considering amendment. Date for such meeting would be decided by the
 Executive. Amendment shall deem to have adopted by the General Body provided that
 it has been approved by two-third majority of the total strength of the MACTSA.

Article 10: No-Confidence Motion

- No confidence motion can be moved only against office-bearers. A written statement for the same signed by no less than 1/3 of the total members of the Association should be submitted to the President or Secretary.
- A special General Body meeting to discuss and decide upon the no-confidence motion must be called within 20 days of receipt of no-confidence motion. The notice period for the meeting shall be 15 days. If such a meeting is not convened in the stipulated time period, then, a General Body meeting will be automatically convened on the next working day. The General Body shall elect the chairperson for the meeting, if required.
- The no confidence motion shall deem to have adopted by the General Body provided that it has been approved by two-third majority of the total strength of the MACTSA. If all the 3 Office-Bearers are impeached then the entire team seizes to function. Fresh election should be conducted within 15 working days of successful impeachment.

शिक्षण स्टाफ एसोसिएशन महाराजा अग्रसेन कॉलेज (MACTSA)

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

संविधान

अनुच्छेद १: शीर्षक और हद

• महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एक शिक्षक एसोसिएशन महाराजा अग्रसेन कॉलेज टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन (अब MACTSA कहा जाएगा) स्थापित किया जायेगा जिसका उद्देश्य (क) शिक्षण स्टाफ के अधिकार एवं हितों की रक्षा (ख) शिक्षण स्टाफ हेतु कल्याण गतिविधियाँ एवं (ग)डूटा के साथ समन्वय एवं शिक्षण स्टाफ के सामूहिक कल्याण के लिए MACTSA आम सभा द्वारा अनुमोदित डूटा(DUTA) के कार्यक्रमों में भागीदारी होगा।

अनुच्छेद 2 : सदस्यता

- MACTSA की सदस्यता एक व्यक्ति की स्थायी, अस्थायी या तदर्थ पदों में (निदेशक शारीरिक शिक्षा और लाइब्रेरियन सिहत) संकाय में शामिल होने की स्थिति में स्वतः प्राप्त होगी और यह तब तक बनी रहेगी जब तक वह कॉलेज के रोल (सूची) पर रहता/रहती हैं। सभी पूर्वेक्त सदस्य MACTSA के आम सभा (जनरल बाडी) का निर्माण करेंगे। हालांकि, सदस्यों को स्टाफ एसोसिएशन से अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होगा। ऐसा करने के लिए वह सदस्य स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव,या कोषाध्यक्ष) को लिखित रूप में अपनी मंशा की सूचना देगा। स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारी आम सभा (जनरल बाडी) में इसे प्रस्तुत करेंगे।
- स्टाफ एसोसिएशन की सदस्यता राशि आम सभा (जनरल बाडी) द्वारा निश्चित प्रक्रिया का पालन कर समय समय पर समीक्षित एवं परिवर्तित की जा सकेगी। इस प्रकार आम सभा (जनरल बाडी) द्वारा अनुमोदित सदस्यता राशि एसोसिएशन के सदस्यों के वेतन से मासिक आधार पर कटौती के द्वारा देय होगी।

अनुच्छेद ३ : सामान्य वक्तव्य

- MACTSA में निम्नित्रित पदाधिकारीगन और कार्यकारी सदस्य होंगे जिन्हें सामूहिक रूप से कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता हैं -
- अध्यक्ष (प्रेजिडेंट)
- सचिव (स्रेक्रेटरी)
- कोषाध्यक्ष (ट्रेजरार)
- कार्यकारी सदस्य (चार)
- आम सभा को इस संविधान के अनुसरण/अनुपालन में समय-समय पर नियम और कानून बनाने का अधिकार होगा। स्टाफ एसोसिएशन की उच्चतम निर्णय लेने वाली इकाई आम सभा हीं होगी।
- कोषाध्यक्ष एसोसिएशन के वित्त का प्रबंधन करेगा, इसके खातों को बनाए/अद्यतन रखेगा, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा और MACTSA के रोजमर्रा के खर्चौं/न्यय को देखेगा।
- छह(६) महीने से अधिक की अवधि के लिए पदाधिकारियों की पोस्ट में एक आक्रिमक रिक्ति उत्पन्न होने की रिश्वित में वैकल्पिक व्यवस्था, आम सभा के द्वारा या चुनाव के माध्यम से की जाएगी और जिसकी अवधि स्टाफ एसोसिएशन की अवधि के साथ सह-टर्मिनस (एक साथ ख़त्म होने वाला) होना चाहिए। छह(६) महीने से कम की रिक्ति के मामले में, आम सभा वैकल्पिक व्यवस्था करेगा जब तक वह सदस्य कॉलेज में ड्यूटी ज्वाइन न कर ले।

अनुच्छेद 4: बैठकें और कार्यवाही

- आम सभा , जिसमें MACTSA के सभी सदस्य शामिल हैं, की बैठक प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होनी चाहिए एवं इसमें चुनाव वाले दिन की वह वार्षिक बैठक भी शामिल हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट और खातों का हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा।
- आम सभा की दो बैठकों के बीच की अविध में , MACTSA के दिन-प्रतिदिन के मामलों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारी (इक्जीकटिव) का होगा।
- MACTSA की आम सभा (जनरल बौडी) की बैठकों के आयोजन के तिए निम्नितिखत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए :
- बैठक अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) द्वारा अन्य पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात बुलाई जाएगी। प्रेसिडेंट बैठक की अध्यक्षता करेगा और सचिव कार्यवाही रिकॉर्ड करेगा और तद्रुपरांत इसे सूचना के रूप में डाल देगा।

- अध्यक्ष की अनुपरिथित में सचिव को बैठक बुताने का अधिकार होगा और वह इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष
 और सचिव दोनों की अनुपरिथित की रिथित में कोषाध्यक्ष भी ऐसा ही करेगा।
- MACTSA की बैठक के लिए नोटिस की अवधि ७ दिनों की होगी। हालांकि, आपात बैठक के लिए नोटिस की अवधि माफ की जा सकती हैं।
- किसी सदस्य द्वारा तिखित रूप में किसी मुद्दे पर विचार करने के तिए कार्यकारी से मांग रखने पर आम सभा की बैठक बुलाई जा सकती हैं। हालांकि, अगर इस मुद्दे को कार्यकारी द्वारा उस सदस्य की संतुष्टि के मुताबिक हल कर तिया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में आम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य नहीं होगा।
- एक प्रार्थित बैठक (रिक़ुइजिसन मीटिंग) के लिए मांग लिखित रूप से, जिस पर MACTSA के कुल सदस्यों में से कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हों, अध्यक्ष या सचिव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह की बैठक मांग की प्राप्ति के सात (७) दिनों के भीतर निश्चित रूप से बुलाई जानी चाहिए।
- अगर इस तरह की एक बैठक निर्धारित समय अवधि में बुलाई नहीं जाती हैं, तो फिर, आम सभा की बैठक स्वमेव रूप से अगले कार्य दिवस को आहूत की जा सकेगी। इस बैठक के लिए आम सभा एक अध्यक्ष का चुनाव भी कर सकती हैं, अगर जरूरी हो।
- बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कुल सदस्य संख्या का एक बटे पांच (1/5th) होगा।

अनुच्छेद ५ : वित्त

- MACTSA का धन/वित्त सदस्यों की सदस्यता राशि एवं अन्य दान-अनुदानों का समावेश होगा ।
- MACTSA का धन एक बैंक खाते में रखा जाएगा।
- बैंक खाते को महाराजा अग्रसेन कॉलेज टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के नाम पर रखा जाएगा।
- बैंक खाते को कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष या सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष के उपलब्ध न होने की स्थिती में, खाते में संयुक्त रूप से अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है
- MACTSA के खाते को कोषाध्यक्ष द्वारा रख-रखाव (संचालन) किया जाएगा ।
- MACTSA के खातों को सालाना आम सभा के समक्ष प्रस्तृत किया जाएगा ।

अनुच्छेद ६: पदाधिकारियों के चुनाव

 सदस्यगण एक वर्ष की अविध के लिए अध्यक्ष, सिवव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नए पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। MACTSA के पदाधिकारी अर्थात अध्यक्ष,

- सचिव और कोषाध्यक्ष एक ही पद पर लगातार दो से अधिक बार चुने नहीं जा सकेंगे। और वह एक वर्ष की समाप्ति तक एक ही पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु खड़ा नहीं हो सकेगा।
- पिरणामों की घोषणा के बाद पदाधिकारीगण सर्वसम्मित से चार कार्यकारी सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अगर पदाधिकारियों के बीच कोई आम सहमित नहीं बन पाती हैं, तो मामले को चुनाव पिरणामों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर MACTSA की आम सभा को भेजा जाएगा। आम सभा गुप्त मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से चार कार्यकारी सदस्यों का चुनाव करेगी। सदस्य जो MACTSA के कार्यकारी सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होंगे, उनके नाम का प्रस्ताव आम सभा के दो सदस्यों (पदाधिकारियों को छोड़कर) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अनुच्छेद -7 : निर्वाचन अधिकारी

- निर्वाचन अधिकारी, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कार्यकारिणी द्वारा चुना जाएगा। वह प्रत्येक वर्ष तीस सितंबर (30) से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेगा।
- कार्यकारिणी चुनाव के सुचारू संचालन हेतु निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए दो सदस्यों को मनोनीत करेंगे।

अनुच्छेद 8 : चुनाव प्रक्रिया

- चुनाव के संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाएगा :
- चुनाव की अधिसूचना।
- निर्धारित प्रारूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तारीख । चुनाव की अधिसूचना और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बीच 5 दिनों का अंतराल होना चाहिए ।
- नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख ।
- जांच उपरांत अंतिम उम्मीदवारी की अधिसूचना।
- मतदान की तारीख।
- चुनाव में अध्यक्ष , सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए उम्मीदवार की सहमति से दो सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाएगा ।
- एक सदस्य एक से अधिक पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है।

 MACTSA का कोई सदस्य चुनाव के लिए एक ही श्रेणी में एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, सभी एकाधिक नामांकन रह हो जाएंगी।

अनुच्छेद ९: संशोधन

- संविधान में संशोधन पर विचार किये जाने की स्थिति :
- कोई सदस्य संविधान में संशोधन के लिये एक लिखित प्रस्ताव (200 से कम शन्दों में) जो कम से कम दस फ़ीसदी (1/10) सदस्यों द्वारा अनुमोदित हो ,अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, जिसे अध्यक्ष MACTSA के सदस्यों के बीच प्रसारित करेंगे।
- संशोधन पर विचार के उद्देश्य से आम सभा की एक विशेष बैठक 15 दिनों की एक स्पष्ट नोटिस के साथ आयोजित की जाएगी। ऐसी बैठक के लिए तारीख कार्यकारिणी द्वारा तय की जाएगी। अगर MACTSA की कुल संख्या का दो तिहाई (2/3) बहुमत इसे मंजूरी प्रदान कर देता हैं तभी संशोधन को आम सभा द्वारा अपनाया गया समझा जाएगा।

अनुच्छेद -10: अविश्वास प्रस्ताव

- अविश्वास प्रस्ताव केवल पदाधिकारियों के खिलाफ लाया जा सकता हैं। इसके लिए उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए एक लिखित वक्तव्य जिस पर एसोसिएशन के कम से कम एक-तिहाई (1/3) सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों , अध्यक्ष / सचिव को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- प्रस्ताव प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और फैसला करने के लिए आम सभा की एक विशेष बैठक अवश्य रूप से बुलानी होगी। ऐसी बैठक के लिए नोटिस की अविध 15 दिन होगी। अगर इस तरह की एक बैठक निर्धारित समय अविध में बुलाई नहीं जाती हैं, तो फिर आम सभा की एक बैठक स्वतः रूप से अगले कार्य दिवस को आहूत हो जाएगी। आम सभा,यदि आवश्यक हुआ तो अपनी बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकती हैं।
- अविश्वास प्रस्ताव आम सभा के द्वारा मंज़ूर हुआ समझा जाएगा बशर्ते इसे MACTSA की कुल संख्या में से दो-तिहाई बहुमत अनुमोदित कर देता हैं। सभी तीन (3) पदाधिकारियों पर सफल महाभियोग की स्थिती में पूरी टीम कार्य करने के अधिकार से वंचित हो जाएगी। ताजा चुनाव सफल महाभियोग के 15 कार्य दिवसों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।